उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्याः– 713 /सामा0 प्रशा0/भूमि चयन/2022–23	दिनांक 14.12.2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
महोदय,बागेश्वर।

विषय– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 हे0 सिविल सोयम भूमि भूमि, 0.32 हे0 वन पंचायत भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08 बी0/यू0पी0सी0/09/69/2022/एफ0सी0 927/दिनांक 16.10.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बागेश्वर के विषयगत परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.74 है भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु आनलाईन प्रस्ताव पर उपयुक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि

"नोडल कार्यालय द्वारा डी0एफ0ओ के अडंर टेकिंग को बिना किसी टिप्पणी के मात्र अग्रसारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर में परियोजना के गैर–साइट विशिष्ट न होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत औचित्य एवं सम्बन्धित अंडर टेकिंग मान्य योग्य प्रतीत नही होता है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि यदि प्रस्ताव साइट विशिष्ट है तो वह इस सम्बन्ध में औचित्य/तथ्य सहित अपनी विस्तुत टीप प्रस्तुत करने का कष्ट करें।"

प्रस्ताव साईट विशिष्ट है के सम्बन्ध में औचित्य/तथ्य सहित संलग्नक 01 में प्रस्तुत है।

संलग्नकः– 01 जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर का पत्रांक संख्या 691/ए0आर0टी0ओ0/भवन भूमि हेतु/2023/24 दिनांक 06.12.2023 संलग्न है।

भवदीय,

14-12-23

(रत्नाकर सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपिः– 01– परिवहन आयुक्त महोदय उत्तराखण्ड देहरादून को सादर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
02–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) महोदय अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(रत्नाकर सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर ।

संख्या 691 /ए0आर0टी0ओ0 बागेश्वर /भवन भूमि हेतु /2023–24 दिनांक 06.12.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः **जनपद बागेश्वर में ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर तथा परिवहन विभाग के अनआवासीय कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल 0.74 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु परियोजना के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून को सम्बोधित पत्रांक 8बी/यूसीपी/09/69/2022/एफसी/927 दिनांक 16.10.2023।

उपरोक्त विषयक परिवहन विभाग बागेश्वर द्वारा **ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर तथा परिवहन विभाग के अनआवासीय कार्यालय भवन** के निर्माण हेतु कुल 0.74 है0 वन भूमि (0.42 हे0 सिविल सोयम, 0.32 वन पंचायत भूमि) को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु ऑन लाईन वन भूमि प्रस्ताव संख्या–**FP/ U.K/OTHER**/156508/2022 के क्रम में भारत सरकार, वन एवं जलवायु मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून के तकनीकी अधिकारी (वानिकी) द्वारा परिवहन विभाग हेतु भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आपत्ति दर्ज की गयी है किः–

"नोडल कार्यालय द्वारा डी0एफ0ओ0 के अंडर टेकिंग को बिना किसी टिप्पणी के मात्र अग्रसारित कर दिया गया है इसके अतिरिक्त उत्तर में परियोजना के गैर–साइट विशिष्ट न होने के संबंध में प्रस्तुत औचित्य एवं संबन्धित अंडर टेकिंग मान्य योग्य प्रतीत नही होता है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि यदि प्रस्ताव साइट विशिष्ट है तो वह इस सम्बन्ध में औचित्य/तथ्य सहित अपनी विस्तृत टीप प्रस्तुत करने का कष्ट करें।"

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग बागेश्वर के प्रोजेक्ट से आच्छादित कार्य योजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गैर साइट विशिष्ट न होकर साइट विशिष्ट होने सम्बन्धी कारकों के संम्बन्ध में औचित्य/तथ्य सहित विस्तृत टीप निम्न लिखित हैः–

➢ **प्रस्तावित परियोजना हेतु विशिष्ट प्रकार की भूमि की आवश्यकता के कारण प्रस्ताव के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में आख्याः–**

- ❖ उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रथमतः ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु चालकों/आवेदकों के ड्राइविंग कौशल के परीक्षण (DRIVING TEST) के लिये लगभग 4 हजार स्क्वायर मीटर समतल भूमि की आवश्यकता होगी जिस पर विभिन्न आकारों में यथा *8 आकर का* आयताकार चढाईयुक्त/ढलानयुक्त मार्ग /ट्रैक का निर्माण किया जाना है। टैस्टिंग ट्रैक के निर्माण के लिये जनपद में उक्त विशिष्ट प्रकार की उपयुक्त तथा पर्याप्त समतल भूमि केवल चिन्हित स्थान पर ही उपलब्ध होने के कारण यह प्रस्ताव गैर साईट विशिष्ट न होकर साईट विशिष्ट बन जाता है।

- Traffic Awareness centre के अंतर्गत विभिन्न अभियोगों में निरूद्व सीज वाहनों को दीर्घ अवधि तक पार्क करने हेतु लगभग 1115 स्क्वायर मीटर भूमि पर ऐसा परिसर निर्मित किया जाना है जिसमें लगभग 100 वाहन निरूद्ध कर पार्क किये जा सके, तथा चालकों को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत काउंसलिंग प्रदान करने हेतु परिवहन थाना तथा काउंसलिंग हॉल भी निर्मित हो। अतः इस हेतु भी समतल या समतलीकरण योग्य भूमि ही आवश्यक है, जो जनपद में केवल चिन्हित स्थान पर ही उपलब्ध है।

- तृतीय उपपरियोजना के रूप में कार्यालय परिसर का निर्माण भी किया जाना है , चूंकि तीनों उप परियोजनाऐं परिवहन सेवाओं से सम्बन्धित है तथा एक दूसरे की पूरक है, अतः तीनों उप परियोजनाओं का निर्माण एक साथ एक ही भूमि पर किया जाना श्रेयकर है।

- चूंकि परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में यथा वाहन चालक परीक्षण, प्रवर्तन आदि में वाहनों को कार्यालय परिसर तक संचालित किया जाना होता है अतः उक्त परियोजना स्वयं में एक ऐसी समतल भूमि पर निर्मित होनी है जो मुख्य सड़क मार्ग से **WELL CONNECTED** हो। जनपद में अन्य कहीं भी एसी समतल/समतलीकरण योग्य उचित भूमि उपलब्ध नही है जो मुख्य मार्ग से **WELL CONNECTED** हो, अतः परियोजना हेतु आवश्यक उचित तथा पर्याप्त भूमि केवल चिन्हिकृत/प्रस्तावित स्थल पर ही उपलब्ध होने के कारण यह प्रस्ताव साईट विशिष्ट प्रस्ताव बन जाता है।

➢ प्रस्तावित परियोजना के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में जनांकिकीय कारकों सम्बन्धी आख्याः–

- जनपद बागेश्वर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या विवरण तथा जनघनत्व भी प्रस्तावित स्थल को स्थल विशिष्ट बनाता है। **UID** सर्वे 2022–23 के अनुसार तहसील बागेश्वर की जनसंख्या लगभग 1.32 लाख है जो सर्वाधिक है, जबकि अन्य तहसील जैसे गरूण में 90 हजार, कपकोट में 66 हजार तथा कांडा में केवल 34 हजार जनसंख्या निवासरत है। तीनों तहसीलों में सर्वाधित जनघनत्व भी बागेश्वर शहर के आसपास निवासरत है।

  - बागेश्वर शहर भौगोलिक रूप से भी जनपद के मध्य में स्थित है तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक शहर भी है। जनपद के सभी जिलास्तरीय कार्यालय यहीं पर स्थित है। सरकारी, गैर सरकारी व व्यासायिक कार्यो हेतु सभी निवासी बागेश्वर आते है तथा अन्य विभागों की सेवाओं के साथ–साथ परिवहन सम्बन्धी सेवाऐं भी बागेश्वर परिवहन कार्यालय में प्राप्त करते है। इसी कारण से सामान्यतः उत्तराखण्ड के सभी जिलों में परिवहन कार्यालय मुख्य शहर में ही स्थापित है। यथा चमोली के, कर्णप्रयाग में, चम्पावत के टनकपुर में आदि।

  - **इस प्रकार अधिक जनसंख्या लाभ सिद्वान्त, कम दूरी के आवागमन कम प्रदूषण तथा न्यून पर्यावरणीय हानि के दृष्टिगत उपर्युक्त चयनित स्थल पर ही परियोजना का निर्माण होना इस प्रस्तावित कार्ययोजना को साईट विशिष्ट बनाती है।**

❖ <u>प्रस्तावित परियोजना के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में भौगोलिक कारकों सम्बन्धी आख्याः–</u>

❖ प्रस्तावित स्थल विशिष्ट पर ही परियोजना निर्माण के सम्बन्ध में बागेश्वर जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति भी महत्वपूर्ण कारक है। जनपद बागेश्वर मध्य हिमालय तथा बृहत हिमालय के सीमावर्ती संक्रमण क्षेत्र में स्थित है।

- जनपद की कुल चार तहसीलों में दो उत्तरी, तथा उत्तर पूर्वी सीमान्त तहसीलें क्रमशः कपकोट तथा कांडा है, जो वृहत हिमालय से सीमा बनाने के कारण पूर्ण रूप से हिल टिरेन/पहाड़ी उच्चावच है। अतः यहॉ पर उक्त परियोजना हेतु उपयुक्त उचित प्रकार की समतल /समतलीकरण योग्य भूमि उपलब्ध नही है।

- तृतीय तहसील गरूण है, जो जनपद के परिधि पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहॉ पर केवल गरूण शहर ही समतल क्षेत्र है। परन्तु घनी बसावट तथा दो पर्वतों के मध्य संकरी घाटी में स्थित होने के कारण यहॉ भी आवश्यक तथा उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध नही है। तहसील के शेष क्षेत्र जैसे कौसानी, ग्वालदम आदि क्षेत्र पूर्णतः विषम पहाडी क्षेत्र होने तथा अधिकाशं रिजर्व फारेस्ट भूमि के रूप में होने के कारण यहॉ कही भी परियोजना का निर्माण सम्भव नही है।

- चतृर्थ बागेश्वर तहसील है, जिसपर बागेश्वर क्षेत्र तथा आस पास के परिधिय क्षेत्र समतल या समतलीकरण योग्य क्षेत्र के रूप में स्थित है। बागेश्वर शहर के परिधिय क्षेत्र में ही उपर्युक्त चिन्हित प्रस्तावित स्थल विद्यमान है। जहॉ पर परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक समतल उचित तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

- **इस प्रकार प्रस्तावित विशिष्ट परियोजना हेतु जनपद में TRRAFICABLE, उपयुक्त तथा पर्याप्त समतल भूमि केवल चिन्हित स्थान पर ही उपलब्ध होने के कारण यह प्रस्ताव गैर साईट विशिष्ट न होकर साईट विशिष्ट बन जाता है।**

❖ <u>प्रस्तावित परियोजना हेतु पूर्व वर्षों में भूमि चयन हेतु किये गये प्रयास तथा उचित भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान स्थल के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में आख्याः–</u>

❖ जनपद में वर्ष 2007 में परिवहन कार्यालय स्थापित होने के पश्चात ही भूमि चयन हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये थे। केवल कार्यालय भवन हेतु 0.40 हेक्टेयर आरक्षित भूमि के प्रस्ताव को वर्ष 2015 में अपर प्रमुख वन <u>संरक्षण/नोडल</u> अधिकारी देहरादून द्वारा मैरिट के आधार पर इन निर्देशों के साथ निरस्त कर दिया गया था कि, आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य प्रकार की भूमि चयनित की जाय।

❖ वर्ष 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशो के कम में ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर के निर्माण हेतु भी परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों यथा जिलाप्रशासन/राजस्व विभाग, नगरपालिका तथा वन विभाग से समन्यवय स्थापित करते हुए लगातार प्रयास किये गये है। परन्तु जनपद की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थियों के दृष्टिगत इस विशिष्ट परियोजना हेतु आवश्यक उचित, पर्याप्त

तथा समतल अथवा समतलीयकरण योग्य भूमि केवल उपर्युक्त चयनित स्थल यथा नगरपालिका बागेश्वर के ग्राम गाडगांव अर्न्तगत 0.74 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो पायी है। जिस कारण प्रस्तावित भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव साईट विशिष्ट की श्रेणी के अर्न्तगत आच्छादित होता है।

यहॉ यह भी कहना समीचीन होगा कि, तहसीलदार बागेश्वर, वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर (प्रयोक्ता एजेन्सी) उपजिलाधिकारी बागेश्वर व प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर की तत्कालीन समिति ने मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न यह प्रमाण पत्र प्रपत्र–14 दिया है कि चिन्हित भूमि के अतिरिक्त इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी भूमि विकल्प उपलब्ध नही है।

➢ **विशिष्ट उद्देश्य हेतु निर्मित किये जाने के कारण प्रस्तावित प्रस्ताव के साईट विशिष्ट होने के सम्बन्ध में :–**

- ❖ परियोजना के अर्न्तगत ड्राईविंग टैस्टिंग टैक, परिवहन थाना, ट्रैफिक अवेरेस सेन्टर का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों हेतु किया जाना है, यथा ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक के निर्माण से आवेदकों के बेहतर वाहन संचालन परीक्षण के पश्चात ही ड्राईविंग लाईसेंस जारी किये जा सकेंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में अमूल्य जीवन को खोने से बचाया जा सकेगा।

- ❖ द्वितीयतः ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर, काउंसलिंग हॉल तथा कार्यालय परिसर के निर्माण से बारमबार ड्राईविंग अभियोगों में पकडे जाने वाले चालकों को Educational Purpose से काउंसलिंग प्रदान करने के साथ–साथ विभिन्न कार्यों से कार्यालय पहुंचने वाले आवेदकों हेतु भी सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की जायेगी, जिससे एक बेहतर सड़क संस्कृति विकसित करना संभव हो पायेगा।

❖ **भारत सरकार के NON SITE SPECIFIC सम्बन्धी निर्देशानुसार प्रस्तावित परियोजना के SITE SPECIFIC परियोजना के अर्न्तगत आच्छादित होने के सम्बन्ध में तथ्यः–**

उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मत्रांलय नई दिल्ली के पत्र सं0 **FC-11/155/2020-FC** दिनांक 24 जनवरी 2022 के पैरा 1.15 में **Non Site Specific Projects** के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश हैः–

(i) **Diversion Of Forest land for non-site-Specific projects**:- Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes , disposal of fly ash , rehabilitation of displaced person , etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest land as a rule.

For that matter, no NON-SITE SPECIFICE proposals can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, Residential projects up to one hectare Can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF & CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional officer of the IRO of MoEFcc

उपर्युक्तानुसार **SITE SPECIFIC** परियोजना ऐसी परियोजना कही जा सकती है जो कि, किसी विशिष्ट चिन्हित स्थल पर ही निर्मित की जा सके एवं जिसका निर्माण अन्यत्र किया जाना सम्भव न हो तथा साथ ही परियोजना निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से भी प्रतिकूल न हो।

❖ चूंकि उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट है कि, प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक 0.74 हे0 भूमि जो कि 0.1 हे0 से कम है तथा जनपद में केवल चिन्हित स्थल पर ही उपलब्ध है तथा परियोजना का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से भी प्रतिकूल नही होने के कारण यह प्रस्ताव गैर साईट विशिष्ट न होकर साईट विशिष्ट प्रस्ताव बन जाता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, उक्त विशिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्मित की जाने वाली परियोजना (ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक, ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर तथा कार्यालय परिसर) के निर्माण में जनसुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, तेजी से बढते वाहन घनत्व के दृष्टिगत वाहन चालकों तथा सामान्य समाज के भीतर भी सड़क सुरक्षा को लेकर चेतना/संवेदनशीलता विकसित करते हुए सम्भावित जनांकिकीय ह्रास को रोकने का दर्शन निहित है। जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या वितरण, जनघनत्व तथा भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर उपर्युक्त चयनित स्थल यथा नगरपालिका बागेश्वर के ग्राम गाडगांव अर्न्तगत 0.74 हेक्टेयर भूमि (0.42 हे0 सिविल सोयम, 0.32 वन पंचायत भूमि) को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को गैर साईट विशिष्ट प्रस्ताव विचार न करते हुए साईट विशिष्ट परियोजना के रूप में विचार करना सर्वथा औचित्यपूर्ण तथा श्रेयकर है।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर।

जिलाधिकारी,बागेश्वर।